

अनमोल दावा

शातिपूर्ण मन ही हमें सच्ची
खुशी देता है। इसलिए
शातिपूर्ण मन सच्चे।

सुप्रीम कोर्ट एवं
निवारी अदालतें

लगभग नीति परिवर्तन के मूँह में सुप्रीम कोर्ट ने अब पिछले कुछ महीनों से जमानत के लिए आने वाले मामलों में जेल नहीं बेल, कैद नहीं जमानत का गण अलगाव शुरू किया है। जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है कि जमानत दी जाए, वह पहले महीनों नहीं सालों तक निचली अदालतों, जिन में हाईकोर्ट भी शामिल हैं, में लटका रहता है, जो जमानत देने से इनकार कर चुकी होती हैं।

दिल्ली के आम आदमी पार्टी के तथाकथित शराब घोटाले में भारीतीय गढ़ी समिति पार्टी की कविता को जमानत देने हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे मनमाने ढांग से किसी को भी बिना सही व पक्ष सुनूत के महीनों जेल में नहीं रख सकते। यह जमानत उस ने तब के कविता को दी जब सत्यंद्र जैन को अधी भी इसी घोटाले में कैद कर रखा हुआ है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुलाई 2022 में दिल्ली मुख्य सचिव की शिकायत पर उपराज्यपाल के आदेश पर एक एक कर के कई लोगों को 580 करोड़ के राजस्व की जांच के नाम पर गिरफ्तार किया था पर अभी तक किसी के खिलाफ कोई गवाही शुरू नहीं हुई और ईडी अधी तक जांच ही कर रही है, तथ्य हूँ जा रहे हैं ईडी के पास कोई कागजी सुनूत या बैंक अकाउंट का खुलासा नहीं हुआ है।

आम आदमी पार्टी को गिरफ्तारियां बड़े काम की रही हैं पर गुनाहगारों को भारत में जेलों में सजा देने के काम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है अभी तक यह अपराध का नहीं जमानती का मामला है। भारीतीय जनता पार्टी को यह बिलकुल गवारा नहीं कि उस दिल्ली से जहां से वह 3 बार से लोकसभा की सभी सातों सीटें जीत रही हैं, असरिंद्र के जरीवाल विधानसभा में इन्हे बहुमत से जीत रहे हैं कि लेदे कर दलबदल करवाना भी संभव नहीं हो पाता। वह ईडी के जरिए पूँछ पकड़ कर सूर्ख की नोंक से हाथी को निकालने के चक्रों में है।

- जहां तक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जेल नहीं बेल अपराध कानूनों की नीति होना चाहिए, यह कहीं भी माना जा रहा हो, ऐसा नहीं लगता। हर पुलिस अफसर और हर पहान माजिस्ट्रेट इस मिलान को मानता है कि जेल हां हां, बेल न न। छोटेहाटे मामलों में भी और ऐसे मामलों तक में जहां आरोपी का अपराध से सीधी संबंध न हो, किसी पर भी आरोप लगा कर जेल में ठूँस देने को वे कानून मानते हैं दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 6 लाख के करीब जेलों में बद दैदियों में सांधे 4 लाख कैदी अधी तक सजा नहीं पाए हैं और कुछ तो 8-10 सालों से बंद हैं, जिन अपराध साथित हुए, केवल जीव ही जमानत पा पाते हैं जिन के पास वकीलों पर खर्च करने का बड़ा पैसा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल नहीं बेल अपराध कानूनों की नीति होना चाहिए, यह कहीं भी माना जा रहा हो, ऐसा नहीं लगता। हर पुलिस अफसर और हर पहान माजिस्ट्रेट इस मिलान को मानता है कि जेल हां हां, बेल न न। छोटेहाटे मामलों में भी और ऐसे मामलों तक में जहां आरोपी का अपराध से सीधी संबंध न हो, किसी पर भी आरोप लगा कर जेल में ठूँस देने को वे कानून मानते हैं दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 6 लाख के करीब जेलों में बद दैदियों में सांधे 4 लाख कैदी अधी तक सजा नहीं पाए हैं और कुछ तो 8-10 सालों से बंद हैं, जिन अपराध साथित हुए, केवल जीव ही जमानत पा पाते हैं जिन के पास वकीलों पर खर्च करने का बड़ा पैसा होता है।

सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात मनवानी है तो उसे हर जिते में एक मौनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए जो हर जमानत इनकार की तुंत जांच के ताकि मजिस्ट्रेट व सरकारी बकील और पुलिस को कठोरे में खड़ा किया जा सके। असल में हमारे यहां न्याय पौराणिक अन्याय की सोच पर निर्भाय है जिस में सजा को पानिवार्य फल माना जाता है जब तक कि दानदक्षिणा दे कर या इश्वर या देवता के पैर धू कर वरदान न मिल जाए, जो गिरफ्तार होता है वह कितना 'दान' देता है, क्या बताना पड़ेगा?

-सरिता से साभार



मेष



कर्क



गुरु



मकर



वृषभ



सिंह



वृश्वकर्मा



कुंभ

अभिधम का समान : पाली साहित्य का एक शास्त्रीय रत्न



प्रोफेसर राकेश पंत

एक वास्तविक अर्थ में, अभिधम में चार उल्लिखित श्रेणियां होती हैं: १. चेतना, २. मानसिक अवस्थाएं, ३. भौतिक गुण, और ४. निवाना या अंतिम मुक्ति।

अभिधम अवस्थाएं तकिया की अधिकारी के लिए एक समझौता है।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से, 17 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली की मानवता का अवस्थाएं तकिया की अंतिम मुक्ति। और निवाना या अंतिम प्रक्रिया के लिए मुक्ति।

अभिधम पिटक की अधिकारी के लिए एक समझौता है।

अभिधम पिटक साथ ग्रन्थों से मिलकर बना है,

तथावर्ती साक्षात् विद्याओं में दी गई श्रीए जहां बुद्ध ने विद्या ब्रह्म के द्वारा तीन महाने विद्याएं, देवताओं और अन्य माता को अभिधम का उद्देश दिया। भारतीयां दृष्टि से "अभिधम" दो शब्दों "अधिधम" (धरण करने के लिए) से मिलकर बना है जिसे बुद्ध के उत्तर शिवांगी विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

अभिधम में एक केंद्रीय अवधारणा शर्तीयता का सिद्धांत है, जो सभी घटनाओं के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी के अंतिम विद्याओं की ओर लगाया जाता है। प्रसिद्ध पाली तिप्पणीकार वेणु बुद्धों को अभिधम को सबसे उत्तम विद्या के अवस्थाएं तकिया की अंतिम प्रक्रिया के लिए एक समझौता है।

